उत्तर प्रदेश शासन
गृह पुलिस अनुभाग–06
संख्या–1046पी / छः–पु–6–17–100(9) / 2014
लखनऊ: दिनांक 20 अक्टूबर, 2017

अपर पुलिस महानिदेशक
उ० प्र० पुलिस मुख्यालय
इलाहाबाद

कार्यालय–ज्ञाप

पुलिस विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों को विशेष जोखिम भरे कार्य के दौरान अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर देय अनुग्रह धनराशि में वृद्धि किये जाने विषयक शासनादेश संख्या सी0एम0–134पी / छः– पु0–6–14–100(9) / 2014 दिनांक 10.09.2014 एवं शासनादेश संख्या–सी0एम0–102पी / छः–पु0–6–16–100(9) / 2014, दिनांक 20.12.2016 में मृतक पुलिस कार्मिको के आश्रितो को निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित घटनाओं के उनके सम्मुख स्तम्भ–3 में अंकित धनराशि अनुमन्य है।

2– शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 10.09.2014 एवं शासनादेश दिनांक 20.12.2016 को संशोधित करते हुए निम्न तालिका के स्तम्भ–3 में अंकित धनराशि के स्थान पर स्तम्भ–4 मे अंकित धनराशि मृतक पुलिस कार्मिको के आश्रितो को तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है–

1	2	3		4	
क्र0 सं0	घटना	पूर्व में अनुमन्य धनराशि		वर्तमान में स्वीकृत किये जाने वाली धनराशि	
		मृतक की आश्रित पत्नी को देय अनुग्रह धनराशि	मृतक के आश्रित माता–पिता को अहेतुक धनराशि	मृतक के आश्रित पत्नी को देय अनुग्रह धनराशि	मृतक के आश्रित माता–पिता को अहेतुक धनराशि
(क)	यदि कर्तव्यपालन की अवधि मे दुर्घटना मे मृत्यु हो जाती है।	20.00 लाख	5.00 लाख	20.00 लाख	5.00 लाख
(ख)	कर्तव्य पालन के समय आतंकवादी / अराजकतत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा के फलस्वरूप मृत्यु होने पर	20.00 लाख	5.00 लाख	40.00 लाख	10.00 लाख
(ग)	देश की सीमा पर अर्न्तराष्ट्रीय सीमा पर ...	20.00 लाख	5.00 लाख	40.00 लाख	10.00 लाख

	घटनाओं अथवा लड़ाकू/आतंकवादियों अथवा अतिवादी आदि की गतिविधियों के फलस्वरूप मृत्यु होने पर				
(घ)	अतिदुर्लभ पहाड़ी ऊंचाईयों/दुर्लभ सीमा अथवा प्राकृतिक विपदाओं अथवा अति खराब मौसम में कर्तव्य पालन करते हुए मृत्यु होने पर	20.00 लाख	5.00 लाख	40.00 लाख	10.00 लाख

3— यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त संशोधित दरें केवल उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्मिकों के आश्रितों/माता–पिता को देय अनुग्रह धनराशि के सम्बन्ध में ही लागू होगी, सेना/केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के सम्बन्ध में उक्त संशोधित दरें लागू नही होगी।

4— उक्त शासनादेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या–1046(1)पी/छ–पु–6–17 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1— समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
2— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम, इलाहाबाद।
3— पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
4— अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
5— वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
6— वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2
7— वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–12
8— गृह(पुलिस) अनुभाग–1/2/7/10
9— गृह(पुलिस सेवायें) अनुभाग–1/2
10— गार्ड फाइल।

18/10/2017

आज्ञा से,

(महेन्द्र सिंह)
अनुसचिव